उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

संख्या-2-69 /अडतीस-6-15-32एसजीएसवाई/2010

लखनऊ, दिनांक- 15 जनवरी, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम के प्रस्ताव दिनांक-10.01.2014 के संबंध में "उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सोसाइटी" की गवर्निंग बाडी की पंचम बैठक दिनांक-19.07.2013 तथा षष्ठम बैठक दिनांक-31.10.2013 में लिए गए निर्णयों के अनुक्रम में क्रमश: प्रदेश के इन्टेन्सिव रूप से चयनित 88 विकास खण्डों तथा नॉन इन्टेन्सिव रूप से चयनित 734 कुल-1644 विकास खण्डों हेतु प्रति विकास खण्ड 02 पद की दर से कुल 1644 कम्यूनिटी कोआर्डिनेटर के अस्थाई पदों के निम्नानुसार सृजन हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रं0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	शैक्षिक योग्यता	अन्य योग्यता	वेतन	नियुक्ति की प्रकृति
1	कम्यूनिटी को-आर्डिनेटर	02 पद प्रति विकास खण्ड की दर से (88 इन्टेन्सिव विकास खण्ड हेतु-176 तथा 734 नॉन इन्टेन्सिव विकास खण्ड हेतु - 1468) कुल पद-1644	पुरूष अभ्यर्थियों हेतु-स्नातक। महिला अभ्यर्थियों हेतु-इन्टर मीडिएट।	स्वयं सहायता समूहों के साथ कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता	रू0 8000-00 से रू0 10,000.00 प्रति माह नियम वेतन।	सेवा प्रदाता द्वारा नियमानुसार।

2- कम्यूनिटी कोआर्डिनेटर के वेतन इत्यादि पर होने वाला व्यय एनआरएलएम/एनआरएलपी के प्रशासनिक मद से नहीं बल्कि इन्स्टीट्शन बिल्डिंग एवं कैपिसिटी बिल्डिंग से किया जायेगा एवं इस हेतु प्रत्येक वर्ष मिशन

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना में समाहित कर भारत सरकार से औपचारिक अनुमति ली जाती है। एनआरएलएम/एनआरएलपी कार्यक्रम पर व्यय होने वाली समस्त धनराशि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वार 75:25 के अनुपात में वित्त पोषित की जाती है।

3- योजना व पदों पर व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स व कास्ट नार्म्स के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

4- **उक्त पदों पर नियुक्ति सेवा प्रदाता के माध्यम से (अधिकतम एक वर्ष के लिए) की जायेगी। उक्त पदों का प्रस्तावित वेतन भारत सरकार की गाइड लाइन एवं कास्ट नार्म्स में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप होगा।**

5- नॉन-इन्टेन्सिव विकास खण्डों में कम्यूनिटी कोआर्डिनेटर की तैनाती चरणों में योजना की सफलता और उपलब्धि को देखते हुए नियमानुसार की जाएगी।

6- पदों की जो अर्हतायें निर्धारित की गई है उनमें कोई शिथिलीकरण नहीं प्रदान किया जायेगा और चयन की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से निष्पादित की जायेगी।

7- सी0ई0ओ0 को समस्त वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार होंगे, जिसका आवश्यकतानुसार प्रतिनिधायन उनके द्वारा अतिरिक्त सी0ई0ओ0/मिशन निदेशक तथा जिले एवं ब्लाक के पदाधिकारी को किया जा सकेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0संख्या-ई-2-1049/दस-2014, दिनांक-12 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2-69(1)/अडतीस-6-15 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मण्डलायुक्त-संबंधित मण्डल।
7- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/पी.डी./डी.डी.ओ./खण्ड विकास अधिकारी, संबंधित जनपद।
8- कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11-बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in